न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:-9/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00009)

1. बल्लू उर्फ बलराम पुत्र नौन्दाराम, जाति मीना, निवासी ग्राम बेड़ा बिशनपुरा उर्फ मेधराजपुरा, थाना जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (पूर्व) जयपुर कलक्ट्रेट परिसर, बनीपार्क, जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 30.07.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर पूर्व जयपुर के आदेश दिनांक 15.12.2016 (प्रकरण संख्या 260/2010) से असंतुष्ट होकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) जो जिला मजिस्ट्रेट को गुण्डा माने गये व्यक्ति के बाह्यान्तर हेतु प्राधिकृत करता है इस उपबंध में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 19(1)(डी) का उल्लंघन होता है इसलिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायलाय ने इसे स्ट्रक ऑफ कर दिया है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चय 2000(1) डब्ल्यू.एल.सी (राज.) पेज 540 देवेन्द्र जैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यह मत प्रकट किया है तथा इस मत को पुनः न्यायिक विनिश्चिय 2006(3) आर.एल.डब्ल्यू पेज 399 मालाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्वीकार किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि कि उपरोक्त सुस्थापित सिद्धान्तों पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पुलिस थाना जमवारामगढ के तत्कालीन थानाधिकारी संजय आर्य ने राजनीतिक कारणों से प्रस्तुत परिवाद अपीलार्थी के विरूद्ध गलत तथ्यों पर एवं विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है, गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत थानाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, बस एक्ट के अन्तर्गत थानाधिकारी पुलिस अधीक्षक को केवल रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों से सन्तुष्ट होने पर परिवाद जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धान्तों पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण नियम 3(2) के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्यों के सम्बन्ध में गुप्त जॉच किये जाने का प्रावधान है तथा

P.T.O.

गुप्त जॉच की रिपोर्ट से सन्तुष्ट होने पर परिवाद पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का नियम है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी के चरित्र एवं व्यवहार के सम्बन्ध में कोई गुप्त जॉच नही की गई तथा गुप्त जॉच नही करने के किसी अधार का उल्लेख भी आदेश में नही किया गया है, इस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्ध है इस मत की पुष्टि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चिय 1984 डब्ल्यू.एल.एन पेज 27 उम्मेदा राम बनाम सरकार में की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धान्तों पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी एक अच्छा नागरिक है तथा अनुसूचित जनजाति का 30 वर्षीय युवक है जो मेहनत, मजदूरी, खेती करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है तथा परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से पूर्व 6 माह में केवल एक झूॅठा प्रकरण राजनीतिक द्वेषता के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज कराया गया है जो विचाराधीन है इससे पूर्व दर्ज सभी प्रकरणों में अपीलार्थी को निदोर्ष मानते हुय बाइज्जत बरी कर दिया गया है, इस प्रकार अपीलार्थी एक्ट में वर्णित गुण्डा की परिभाषा में नही आता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व 6 माह में दर्ज मामलों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना था जबकि परिवाद प्रस्तुत करने के 6 माह पूर्व में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई तीन मुकदमें दर्ज नही हुये है किन्तु इस तथ्य पर गौर नही करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर पूर्व जयपुर द्वारा प्रकण संख्या 260/2010 सरकार बनाम बल्लू उर्फ बलराम में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमात नम्बर 341/1995, 158/98, 87/2000, 131/2000, 234/2003, 312/2006, 367/2007, 211/2010, 11/2007 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि कानूनन किसी व्यक्ति के विरूद्ध 6 माह की अवधि में कम से कम 3 अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर ही उस व्यक्ति के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त दर्ज प्रकरणों में 6 माह की अवधि में 3

प्रकरण दर्ज नही हुऐ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 पारित किया गया है जिसे विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर पूर्व जयपुर द्वारा पारित अपीलाधिन आदेश दिनांक 15.12.2016 को निरस्त किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।